

भयंता ट्रेप

तकनीकी कार्यों के चलते दो यात्री ट्रेन रद्द

अजमेर, (कास)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल पर रेलों के रखरखाव एवं अन्य तकनीकी कार्यों के चलते सोमवार से ब्लॉक किया गया है। इसके कारण मेहसाना-आबूरोड एवं अजमेर-जयपुर के मध्य संचालित दो यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार मेहसाना-आबूरोड के मध्य चलने वाली 79437/79438 यात्री ट्रेन को 19 से 31 मार्च अलग-अलग दिनों रद्द किया गया है। वहीं अजमेर-जयपुर के मध्य चलने वाली डेम्प ट्रेन गाड़ी संख्या 79601/79602 को 20, 23, 25, 27 एवं 30 मार्च को रद्द किया गया है।

परिवादी से शिकायत मिलने कोट्टा एसीबी द्वारा 14 मार्च को का सत्यापन करवाया गया। कायत सही प्राप्त जाने पर आरोपी के ट्रेप की कार्रवाई की गई। ट्रेप की कार्रवाई के दौरान आरोपी संतोष कुमार पिपरसानिया को परिवादी के 5 हजार की रिश्वत लेते अधिशाषी कार्यालय की कार्यवाही को रोकने के लिए आरोपी कोट्टा एसीबी की एक टीम द्वारा आरोपी संतोष कुमार पिपरसानिया के निवास स्थान आकाशवाणी क्रोलोनी राजेन्द्र नगर स्थित यकान पर तलाशी कर संबंधित दस्तावेज जब्त किये गए हैं।

बासकुपालनगर स्थित राजकीय बालिका छात्रावास की दो बालिकाओं ने पिछले दिनों यौन शोषण का खूलासा करते हुए छात्रावास की वार्डन मीलकमल व तिजारा के हियवाहेडा सरकारी मॉडल स्कूल में शिक्षक वार्डन के पति भवेश यादव व रामकेश शर्मा पर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस रामकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित कर पांच हजार रुपये का इनाम रख चुकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी रामकेश शर्मा के ठिकानों पर पुलिस ने अनेकों जगह दबिश दी है लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस टीम रामकेश शर्मा के सभी ठिकानों पर विगाहे जमाये हुए है और जल्द ही पकड़ा जायेगा।

RASHTRADOOT 19-3-2019

राजस्थान वित्त निगम
 Head Office: Udyog Bhawan Tikak Marg, Jaipur-302005
 Phone: 2385522 / 2385514 E-mail: info@rfc.rajasthan.gov.in

संशोधित सूचना
औद्योगिक इकाईयों के विक्रय बाबत
 राष्ट्रपति (समस्त राजस्थान) एवं बिजनेस स्टैंडर्ड, (दिल्ली/अनसुधार) में दिनांक 17.01.2019 को प्रकाशित 'औद्योगिक इकाई की विक्रय सूचना' के अन्तर्गत नैसर्ग हरी ओम इन्डस्ट्रीज, एवं नैसर्ग विकास प्लास्टिक पाईप इन्डस्ट्रीज, की नीलामी दिनांक 20.03.2019 के स्थान पर 22.03.2019 को एवं शाखा कार्यालय अलवर की जगह शाखा कार्यालय दौता (विवादी धर्म कौटा के पास बागरा रोड) में होगी। अन्य विवरण क्यावत-पढ़ें। वेबसाइट www.rfc.rajasthan.gov.in देखें।
 महाप्रबन्धक (ऑपरेशन्स)

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
 दिनांक : 18.03.2019

क्र.सं. - 32(बी)(1)आय/ए/2019-2020/4035

पड़त देशी मदिराटिल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 हेतु राज्य के जिन जिलों में देशी मदिरा टिल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, उन पड़त देशी मदिरा दुकानों/समूहों के वर्ष 2019-20 के लिये निर्धारित प्राव्य में आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं।

- पड़त देशी मदिरा टिल दुकानों/दुकान समूहों की सूची/विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> एवं <https://rajexcise.gov.in> तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
- समस्त आवेदन ऑनलाइन ही वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> एवं <https://rajexcise.gov.in> द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन नहीं किये जायेंगे। आवेदनक द्वारा सर्वप्रथम एक वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त दिशा-निर्देश एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
- आवेदन कम्प्यूटर/लेटरप्रिंट को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई-मित्र सेंटर तथा साइबर कैंफे से (Round the Clock) भेज सकते हैं।
- दर सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहों/दुकानों बाबत सूचना एवं समूहों/दुकानों की सूची विभागीय वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> पर उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> पर दिनांक 18.03.2019 से 22.03.2019 को सायं 6.00 पी.एम. तक भेजे जा सकते हैं। इसके पश्चात rajexcise.gov.in पर दिनांक 18.03.2019 से 22.03.2019 को सायं 6.00 पी.एम. तक भेजे जा सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने का विचार समाप्त हो जायेगा।
- विशेषतः जिस दुकान/दुकानों के समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों के समूह के लिये अमानत पुरी राय होकर केवल आवेदन शुल्क ही जमा करना आवश्यक है।
- एक समूह/दुकान के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग-अलग समूह/दुकान के लिये एक-एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non-refundable) होगा।
- एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/दुकान समूह आवेदन नहीं किये जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकानों/दुकान समूहों के आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु प्रेषित दुकान चयन हो जाता है तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवेदन किये जायेंगे जिसके लिए सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। दुकान/दुकान समूह हेतु समाप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदनक को वह आवेदन शुल्क इन्डरेट बैंकिंग/ई-मित्र/ई-ग्रास चालान/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने जा सकते हैं।
- आवेदन शुल्क इन्डरेट बैंकिंग/ई-मित्र/ई-ग्रास चालान/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने जा सकते हैं। (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जा सकता है।
- आवेदन शुल्क का इन्डरेट बैंकिंग एवं ई-मित्र से ऑनलाइन भुगतान करने वाले आवेदनकों के अलावा अन्य सभी आवेदनकों को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टड कॉपी को ऑनलाइन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा 23.03.2019 को 6 पीएम. को भी पहले हो। एक आवेदन शुल्क के चालान/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में एक प्रिन्टड कॉपी प्रस्तुत करने की उपयोग निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टड कॉपी एवं चालान/डिमांड ड्राफ्ट 23.03.2019 को 6 पीएम के बाद स्वीकार्य नहीं होंगे।
- इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदनक की पहचान स्वल्प द्राइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेंटिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज को स्व प्रामाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
- किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एक अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदनक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गणित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 25.03.2019 को प्रातः 11.00 ए.एम. से बिल्टा मुख्यलय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिन को भी जारी रहेगी।
- देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रुपये में
		23000/-
		28000/-
1	वर्ष 2019-2020 के लिये 10 लाख रुपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	
2	वर्ष 2019-2020 के लिये 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	

15. जिन आवेदन पत्रों के साथ आवेदन शुल्क एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है, उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 16. आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2019-2020 (दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 31.3.2020) के लिये होगी।
 17. आवेदन आमंत्रण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

DIPR/C/...../2019

ब 15 च किये र रिटर्न भी भरे

जून-2018 में डीसीबी बैंक को इसी शाखा में एक और छात्रा रामजियावन के नाम से खूलावाया गया और तब से लेकर अब तक बचे गए प्लॉट्स से आठेचर पैसे इस नए बैंक खाते में जमा किये गए। ये पैसे भी ज्यादातर तुरंत ही इस खाते से नगद में निकलवा लिए गए। ये सभी बैंक खाते खोलने के लिए रामजियावन के जोधपुर के फर्जी एड्रेस दिए गए। इन तीनों बैंक खातों को भी बेनामी निषेध यूनिट ने दिलीप सिंघवी के बेनामी बैंक खाते मानते हुए आज प्रोविजनल रूप से अटैच कर दिया है।

जांच में प्रथम दृष्टया यह भी सामने आया कि इन चर्मीनों के असली मालिक दिलीप सिंघवी न रामजियावन के नाम से बाद के वर्षों में आयकर रिटर्न भी भरे ताकि आयकर विभाग को यह दिखाया जा सके कि जमीनें रामजियावन की ही थीं और प्लॉट्स भी उन्होंने ही बेचे थे।

बेनामी संपत्तियों के इन प्रोविजनल अटैचमेंट्स के साथ ही आयकर विभाग राजस्थान की बेनामी निषेध यूनिट अब तक कुल 394 बेनामी संपत्तियां अटैच कर चुकी है जिनका कुल बाजार मूल्य करीब 1300 करोड़ रूपए है।

R/13

Branch the BRAN ROAD/BAHAR Mr. Poo Sharma Sukhpal

Date: 18